श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

प्रखण्ड कृषि चौपाल

दिनांक : 20 से 29 जून 2018 समय : पूर्वाह्न 9:00 बजे
स्थान : (सभी) प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय परिसर

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यनीति

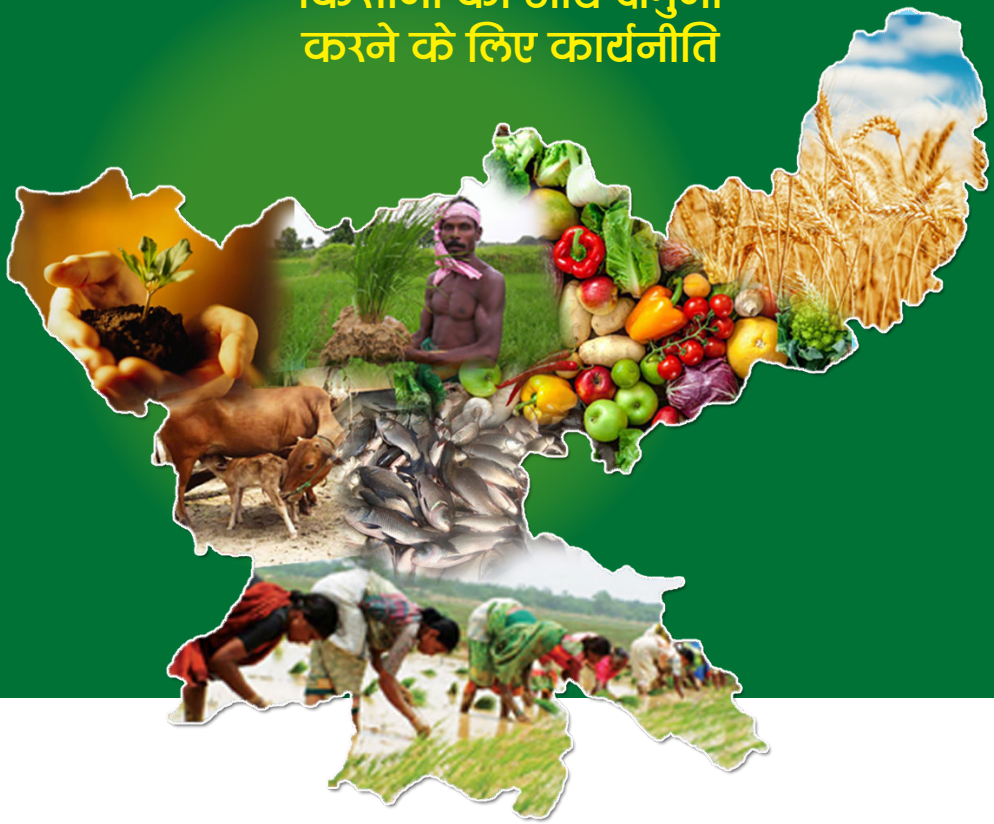

निवेदक :
जिला कृषि पदाधिकारी, राँची
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

सात सूत्री कार्यनीति

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है अर्थात वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सात सूत्री कार्यनीति का समर्थन भी किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सात सूत्री

कार्यनीति :–

1. ''प्रति बूंद अधिक फसल'' प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रर्याप्त बजट के साथ सिंचाई पर विशेष जोर देना।
2. प्रत्येक खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित गुणवत्ता युक्त बीजों एवं पोषक तत्वों का प्रावधान करना।
3. फसल पश्चात हानियों को रोकने के लिए भंडारगारों एवं कोल्ड चेन के निर्माण में अत्यधिक निवेश करना।
4. खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।
5. राष्ट्रीय कृषि मण्डी का सृजन विसंगतियों का निराकरण और 585 मंडियों में ई–प्लेटफार्म की स्थापना।
6. उचित कीमत पर जोखिमों को कम करने के लिए नई फसल बीमा स्कीम को शुरू करना।
7. कुक्कुट पालन, मधुक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे सहायक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

किसानों के लिए ज्यादा लाभार्थ तारतम्य बैठाने के लिए सरकार इस समय विभिन्न स्कीमें लागू कर रही है।

1. उत्पादकता लाभ के माध्यम से उच्च उत्पादन के लिए :–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)– मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, पोषक तत्वों से युक्त मोटे अनाज, वाणिज्य फसलें।
- बागवानी समेकित विकास मिशन (एमआइडीएच)– बागवानी फसलों की उच्च वृद्धि दर।
- तिलहन और ऑयलपाम के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) – तिलहन और ऑयलपाम के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएमओओपी (वर्ष 2014–15 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन – स्वदेशी पशु और भैंसों के जीन पूल के विकास और बढ़ी हुई उत्पादकता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (दिसंबर 2014 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन – राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014–15 में शुरू की गई। पशुधन, विशेष रूप से छोटे पशु (भेड़/बकरी, मुर्गी आदि) एवं गुणवत्ता वाले फीड और चारा की पर्याप्त उपलब्धता के साथ–साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए।
- नीली क्रांति – समेकित इन लैंड तथा समुद्री मत्स्य पालन संसाधनों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2015 में मत्स्य पालन विकास के लिए नीली क्रांति स्कीम की घोषणा की।

2. खेती की लागत में कमी के लिए :–

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) (2 साल चक्र)– उर्वरक का समझदारी से और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू) (यूनिवर्सल) – यूरिया के प्रयोग को नियमित करने, फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने तथा

अनावश्यक उर्वरक अनुप्रयोग की लागत कम करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमके एसवाई)– सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में स्थायी समाधान मुहैया कराने के लिए जिसमें जल स्रोत वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर अनुप्रयोग शामिल हैं, हर खेत को पानी आदर्श वाक्य के साथ सूक्ष्म सिंचाई घटक (1.2 मिलियन हेक्टेयर/वार्षिक लक्ष्य रखा है)।
- परम्परागत कृषि योजना (पीकेवीवाई)– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एवं इससे जैविक मृदा स्वास्थ्य तथा जैविक अंश बेहतर होगें। इससे किसान की कुल आमदनी बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य मिलेगी।

3. लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए

- राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना स्कीम (ई–नाम) किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर लाभ दिलाने के लिए वास्तविक समय के अनुसार बेहतर मूल्य डिस्कवरी, पारदर्शिता लाकर और प्रतियोगी बनाना सुनिश्चित करके कृषि बाजार में क्रांति लाने के लिए यह स्कीम एक नवीन मार्केट प्रक्रिया है। इससे 'एक राष्ट्र एक बाजार' की ओर बढ़ेंगे।
- एक नया मॉडलः कृषि उत्पाद एवं पशुधन मार्केटिंग (उन्नयन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को 24 अप्रैल, 2017 में जारी किया गया है।
- इसमें निजी मार्केट स्थापित करने, सीधी मार्केटिंग, किसान उपभोक्ता मार्केट, विशेष वस्तु मार्किट, वेअरहाउस कोल्ड स्टोरेज या ऐसी किसी इमारत को मार्केट सब यॉर्ड्स के तौर पर घोषित करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करके इस राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार किया जाना है।
- वेयरहाउसिंग की व्यवस्था तथा फसल के बाद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि किसान को मुसीबत में अपना उत्पादन न बेचना पड़े तथा नेगोशिएबल रिसिट के लिए अपने उत्पाद को वेयरहाउस में रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कुछ फसलों के लिए अधिसूचित किया गया है।
- संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन, दालों तथा कपास की खरीद केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।
- मार्किट इन्टरवेन्सन स्कीम (एमआईएस) उन कृषि एवं बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए है जो नाशीवंत प्रकृति के है और जिन्हें पीएसएस के तहत कवर नहीं किया गया है।

4. जोखिम प्रबंधन एवं सतत प्रक्रियाएँ :–

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएम एफबीवाई) एवं पुर्न संरचित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आर डब्लू सी आई एस) फसल चक्र के सभी चरणों में बीमा कवर उपलब्ध कराता है इसमें कुछ निर्धारित मामलों में फसल आने के बाद के जोखिम भी शामिल है और ये बहुत कम प्रीमियम दर पर किसानों को उपलब्ध है।
- पूर्वोत्तर में मिशन आर्गेनिक खेती एमओवीसीडी (एनई) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को देखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है।

5 सबद्ध क्रियाकलाप :–

- फसल के साथ, खेती की जमीन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ''हर मेढ़ पर पेड़'' स्कीम वर्ष 2016–17 में शुरू की गई। यह स्कीम उन राज्यों में लागू की

जा रही है। जिन्होंने इमारती लकड़ी ले जाने के लिए उदार परिवहन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

- राष्ट्रीय बांस मिशन : कृषि आय के अनुपूरक के रूप में, इस क्षेत्र के मूल्य श्रृखंला आधारित समग्र विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2018–19 में राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है।
- मधुमक्खी पालन : किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरूआत की गई है।
- डेयरी : डेयरी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण स्कीमें है– राष्ट्रीय डेयरी योजना –1 (एनडीपी–1), राष्ट्रीय डेयरी विकास (एनपीडीडी) और डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम।
- मात्स्यिकी : मात्स्यिकी क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए जमीन और समुद्रीय दोनों जगहों पर मछली उत्पादन पर विशेष जोर देने वाली बहुआयामी गतिविधियों के साथ नीलीक्रांति की जा रही है।

6. कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए :–

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरूद्धार अर्थात् (आरकेवीवाई–रफ्तार) के रूप में तीन वर्षो तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के साथ–साथ बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी से लाभकारी आर्थिक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में बनाना है। नए दिशा – निर्देश, कृषि–उद्यम और इंक्यूबेशन सुविधाओं को बढ़ावा देने के अलावा उत्पादन व उत्पादनोंपरांत आधारभूत सुविधा के निर्माण के लिए अधिक आवंटन उपलब्ध कराते हैं।

7. कृषि में पूंजीगत निवेश

- कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कोष निधि :

1. एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रकचर फंड के रूप में 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए है।
2. देश में सुक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई फंड।
3. मरीन मत्यसिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचनों सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार, सहकारी समितियों, व्यक्तिगत उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का निर्माण किया गया है।
4. डेयरी प्रसंस्करण और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडी) एक कुशल दूध खरीद प्रणाली के निर्माण के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण और शीतल बुनियादी ढांचे की स्थापना।
5. समेकित भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट विकास कोष उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़ बकरी, सूअर और कुक्कुट के एकीकृत विकास, मुर्गी पालन के आधुनिकीकरण और बकरी, भेड़ और सूअर के लिए जिला स्तर पर सेमेन केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण।

किसान कॉल सेन्टर – 1800–180–1551 (निःशुल्क सेवा)
किसान सहायता कोषांग : 7632996429
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
जिला कृषि पदाधिकारी
राँची, झारखण्ड